संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1963 भोपाल, दिनांक 5/11/18

//आदेश//

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम ने उनके पत्र क्रमांक 11129, दिनांक 20.03.2014 के द्वारा प्रसूता श्रीमती सोनू पति धर्मेन्द्र निवासी मुखर्जी नगर के इलाज एवं ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाने तथा मृतक के पति एवं ननद से दुर्व्यवहार एवं अभद्रता की गई तथा मामला रफा–दफा करने का प्रलोभन दिये जाने संबंधी प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विभाग को प्रेषित किया गया।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.भोपाल द्वारा प्रकरण में ज्ञाप क्रमांक 2056, दिनांक 07.08.2014 के द्वारा डॉ.पुष्पराजसिंह, निश्चेतना विशेषज्ञ, आरोप पत्र जारी किया गया। डॉ. सिंह से आरोप पत्र का उत्तर 15 दिवस में संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन के माध्यम से चाहा गया ।

डॉ.पुष्पराज सिंह द्वारा अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्व संस्थित विभागीय जांच आदेश क्रमांक–4/शिका/सेल–7/देवास/फा.नं.64/2018/282, दिनांक 08.02.2018 के द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया गया था कि विभागीय जांच एक माह में पूर्ण करते हुए जांच प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें, किन्तु स्मरण कराये जाने के उपरांत भी क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन जांचकर्ता अधिकारी द्वारा डॉ.सिंह की विभागीय जांच शुरू नहीं की गई एवं निर्धारित समयावधि में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त विभागीय जांच प्रकरण में अत्याधिक विलम्ब हुआ।

अतः डॉ.सिंह के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच में हुये अत्याधिक विलम्ब तथा निर्धारित समयावधि में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण प्रकरण के जांचकर्ता अधिकारी क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन को भाविष्य में वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित किया जाकर एतद् आदेश द्वारा अप्रसन्नता संसूचित की जाती है।

(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

.....2

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. संयुक्त संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन संभाग उज्जैन (जांचकर्ता अधिकारी)।
5. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
6. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–2/फा.न. 11/इन्दौर/2018 1961 भोपाल दिनांक 5/11/18

आदेश

डॉ. (श्रीमती) अनुभा श्रीवास्तव चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय इन्दौर को संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.06.2016 के अनुक्रम में संचालनालय के आदेश दिनांक 07.06.2016 द्वारा निलंबित किया जाकर ज्ञाप दिनांक 08.06.2016 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया, जिसमें निम्न आरोप अधिरोपित किया गया :–

यह कि जिला चिकित्सालय इन्दौर में आपकी पदस्थी दौरान दिनांक 04.06.2016 को श्रीमती संगीता पति श्री स्वदेश निवासी रामबलराम नगर इन्दौर को प्रसव उपचार हेतु जिला चिकित्सालय इन्दौर में प्रातः 8.27 पर भर्ती किये जाने के पश्चात् उक्त प्रसूता ने समय 8.38 बजे नवजात शिशु को जन्म दिया।

दिनांक 5 जून 2016 को आपकी रात्रिकालीन ड्यूटी थी, किन्तु नवजात शिशु के बुखार आने पर ड्यूटी दौरान रात्रि 9.15 बजे से प्रातः 4.40 बजे तक आपके द्वारा न तो शिशु को अटेण्ड किया गया ओर न ही प्रोटोकॉल का पालन करते हुये उसे कोई उपचार दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे की मृत्यु हो गई। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य आपके पदीय दायित्वों/कर्तव्यों के प्रति गम्भीर लापरवाही को इंगित करता है।

2/ डॉ. अनुभा श्रीवास्तव द्वारा आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 24.06.2016 को प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि वे दिनांक 05.06.2016 को रात्रिकालीन ड्यूटी पर थी ड्यूटी पर उपस्थित होने पर मेरे द्वारा वार्ड का राउन्ड लिया गया। तत्समय सिस्टर स्टॉफ ने न तो किसी भी नवजात को तेज बुखार होने संबंधी कोई शिकायत की न ही किसी नवजात को देंखने हेतु कॉल किया न ही परिजन स्वयं मेरे पास बच्ची को लेकर आये, राउन्ड लेने के उपरान्त मेरे द्वारा लेबर रूम में तीन प्रसूतियॉ करवाई गई, 10–12 ओ.पी.डी. मरीज देखे तथा महिलाओं को प्रसूति हेतु भर्ती किया गया। दिनांक 06.06.2016 को सुबह लगभग 4.45 बजे नवजात को परिजनों ने आकर बच्चे की तबियत खराब होने की सूचना दी, सूचना प्राप्त होने पर तुरंत बच्चे को लेबर रूम में वार्मर पर लिया और जांच करने पर बच्चे के शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं पाए गये। उनके द्वारा अपने दायित्वों में कोई लापरवाही नही बरती गई है का उल्लेख करते हुए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहा गया है।

डॉ. अनुभा श्रीवास्तव को आदेश दिनांक 30.06.2016 के द्वारा बहाल किया गया। उन्हें दिनांक 14.03.2018 को समक्ष में सुना गया। प्रकरण में उप संचालक (शिशु स्वास्थ्य) का अभिमत प्राप्त किया गया। डॉ. अनुभा श्रीवास्तव के विरूद्ध प्रचलित जांच में प्राप्त जांच रिपोर्ट, इनके प्रतिवाद उत्तर एवं समक्ष में सुनवाई के समय प्रस्तुत मजिस्ट्रियल जांच प्रतिवेदन का अध्ययन किया साथ ही उप संचालक शिशु स्वास्थ्य से प्राप्त अभिमत का अवलोकन किया। तीन सदस्यीय जांच दल के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 05.06.2016 को रात्रि ड्यूटी डॉ. अनुभा श्रीवास्तव की थी ओर वे यह बताने में समर्थ नही रही कि रात्रि को दवाई देने के बाद भी बच्ची की मृत्यु कैसे हुई तथा बीच में किसी भी समय इसकी मॉनिटरिंग क्यों नही की गई। परीक्षणोपरांत उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया।

निरंतर

अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ. श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय इन्दौर के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के 10(4) के अंतर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता है। उनकी निलंबन अवधि समस्त प्रयोजनों हेतु कर्तव्य अवधि मान्य कर पूर्ण वेतन भत्ते (जीवन निर्वाह भत्ते की राशि समायोजित कर) भुगतान किये जावें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(डॉ. जे.पी. खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./सेल–2/फा.न. 11/इन्दौर /2018 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतुः–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।

2 निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।

3 कलेक्टर जिला इन्दौर म.प्र.।

4 संचालक, असंचारी रोग शाखा स्थानीय कार्यालय ।

5 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।

6 मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।

7 संभागीय कोष एवं लेखा इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.।

8 जिला कोषालय अधिकारी इन्दौर म.प्र.।

9 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.।

10 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर म.प्र.।

11 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक इन्दौर म.प्र.।

12 डॉ. श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय इन्दौर द्वाराः– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला इन्दौर म.प्र.।

13 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

14 आदेश नस्ति।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश